



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012024-251465
CG-DL-E-19012024-251465

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 18, 2024/पौष 28, 1945

No. 282]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 18, 2024/PAUSHA 28, 1945

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वित्तीय बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2024

का.आ. 291(अ).—केंद्रीय सरकार, अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (.ड) के उपखण्ड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित को वित्तीय सेवाओं के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्, :-

- बही खाता सेवाएं;
- लेखा सेवाएं;
- कराधान सेवाएं; तथा
- वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाएं;

परन्तु वित्तीय सेवाओं की प्रस्थापना अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा विनियमित अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाइयों द्वारा उन अनिवासियों को की जाएगी, जिनका व्यवसाय निम्नलिखित में किसी प्रकार से प्रारंभ नहीं किया गया है -

- (i) भारत में पहले से विद्यमान व्यवसाय का विभाजन; या
- (ii) भारत में पहले से ही विद्यमान व्यवसाय की पुनर्निर्माण; या
- (iii) भारत में पहले से विद्यमान व्यवसाय का पुनर्गठन:

परन्तु यह भी कि ऐसी इकाइयां विद्यमान संविदाओं के अंतरण या प्राप्ति या भारत में अपने समूह की संरचनाओं के माध्यम से सेवाएं नहीं देगी।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए -

- (क) "वित्तीय अपराध अनुपालन सेवाओं" में धन शोधन रोधी (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने (सीएफटी) के उपायों और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की सिफारिशों और अन्य संबंधित गतिविधियों के अनुपालन के संबंध में प्रदत्त सेवाएं सम्मिलित होंगी;
- (ख) "अनिवासी" से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 का 42 के अधीन भारत से बाहर निवासी व्यक्ति अभिप्रेत होगा और इसमें अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाइयां भी सम्मिलित होंगी।

[फा. सं. 3/15/2022-ईएम]

सुरभि जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(FINANCIAL MARKET DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2024

S.O. 291(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (xiv) of clause (e) of sub-section (1) of section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the Central Government hereby notifies the following as financial services, namely:-

1. book-keeping services;
2. accounting services;
3. taxation services; and
4. financial crime compliance services:

Provided that the financial services shall be offered by units in an International Financial Service Centre regulated by the International Financial Services Centres Authority, to non-residents whose business is not set up either by –

- (i) splitting up of business already in existence in India; or
- (ii) reconstructing of business already in existence in India; or
- (iii) reorganising of a business already in existence in India:

Provided further that the units shall not offer the services by way of transferring or receiving of existing contracts or work arrangements from their group entities in India.

Explanation. - For the purpose of this notification -

- (a). “financial crime compliance services” shall include services rendered in relation to compliances of Anti-Money Laundering (AML) / Countering the Financing of Terrorism (CFT) measures and Financial Action Task Force (FATF) recommendations, and other related activities;
- (b). A “non-resident” shall mean person resident outside India under Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and shall also include units in International Financial Service Centre .

[F. No. 3/15/2022-EM]

SURBHI JAIN, Jt. Secy.